SETU

unicef for every child | SPUP Knowledge Is Power | Centre for Child protection

CCP in Action

Information dissemination on child rights and protection by CCP, SPUP

Training of Bihar & Rajasthan AHTUs & IOs on Ensuring Conviction of Traffickers

Orientation on Prohibition of Child Marriage to SJPUs officials

Painting Competition Organized by: Centre for Child Protection, SPUP & Police Commissionerate, Jaipur

इस न्यूज लेटर का उद्देश्य पाठकों को बच्चों के अधिकारों से संबंधित पुलिस, सरकार, संस्थाओं एवं अन्य लोगों द्वारा किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराना है। इस न्यूजलेटर हेतु पाठकों के सुझाव, अनुभव, लेख सादर आमंत्रित है।

E-mail : ccp@policeunivercity.ac.in

न्यूज लेटर लेखन एवं संपादन :

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन

सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, राजस्थान

संपादकीय टीम :– CCP - SPUP Team

न्यूज लेटर

सेतु

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा बाल संरक्षण को समर्पित

unicef for every child | SPUP | Centre for Child protection

दिसम्बर 2018 अंक: 13

बाल विवाह को कहें ''ना''

निदेशक की कलम से

बाल विवाह एक विश्वव्यापी समस्या है, जो विभिन्न देशों, धर्मों व संस्कृतियों में फैली हुई है। भारत में बाल विवाह की शुरूआत प्राचीन काल में हुई और यह अभी तक व्याप्त है, ऐसे विवाह में लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम व लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होती है। ऐसे में लड़के व लड़कियों के अधिकारों की घोर अवहेलना होती है, क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और हिंसा से बचाव जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है और बच्चे का बचपन समाप्त हो जाता है।

''बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 1929'' की शुरुआत के साथ ही वर्ष 1929 में बाल विवाह को गैर कानूनी करार दिया गया, इस अधिनियम के तहत विवाह के समय लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गयी थी, जिसे बाद में सुधार कर लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष रखा गया। इस अधिनियम में और संशोधन करने के पश्चात **''बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006''** लागू किया गया।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2015–16 के अनुसार भारत में 20–24 वर्ष आयु वर्ग की कुल 26.8% महिलाएं ऐसी हैं जिनका विवाह कानूनन निर्धारित न्यूनतम आयु, अर्थात 18 वर्ष से पहले हो गया था। यह आंकड़ा राजस्थान में और भी अधिक है, जो कि 35.4% है। जनगणना 2011 के अनुसार, बाल विवाह के मामलों में राजस्थान का नाम सबसे आगे है, क्योंकि देश भर में 10 वर्ष से कम आयु में विवाहित हुए कुल 3.57 करोड़ बच्चों में से 10.29 लाख या 2.88% मामले केवल राजस्थान से हैं।

हालांकि बाल विवाहों के मामलों में विश्व भर में कमी आ रही है, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है, जिसके कारण बाल विवाहों की दर अभी भी अवांछित रूप से अधिक बनी हुई है। आम अपेक्षाओं के विपरीत, बाल विवाह कुछ राज्यों में ही केवल वंचित या पिछड़े हुए समुदायों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में अधिकतर सामाजिक समूहों में फैली हुई एक सामाजिक बुराई है। राज्य में पुलिस अपनी उपस्थिति के साथ बाल विवाहों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और अपराधियों पर प्रभावी रूप से मुकदमे चला कर दूसरों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करती आ रही है।

इस समाजपत्र के विशेषांक का उद्देश्य बाल विवाहों की रोकथाम के प्रति विभिन्न हितधारकों को संवेदनशील बनाना और विशेषकर राजस्थान में बाल विवाहों के निवारण व रोकथाम के प्रयासों को गति देने के लिए समुदाय द्वारा बच्चों के हितों के प्रति सक्रीय भागीदारी के माध्यम से जागरुकता फैलाना है।

– **राजीव शर्मा**, आई.पी.एस.
निदेशक
सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन
सरदार पटेल युनिवर्सिटी ऑफ पुलिस

बाल विवाह की शिकायत हेतु हेल्पलाईन नम्बर :

1. चाईल्ड हेल्पलाईन – 1098
2. महिला हेल्पलाईन – 1090
3. पुलिस हेल्पलाईन – 100

विशेषांक : बाल विवाह

सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, राजस्थान

संदेश

बाल विवाह एक बीमारी की तरह है। यह बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहा है एवं इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक आ रहे हैं। बाल विवाह के कारण यौन शोषण, घरेलू हिंसा, मानवाधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लंघन और अवसरों की कमी हो रही है और इसमे मासूम संक्रमित हो रहे हैं, हमें इसे ठीक करने का तरीका खोजना होगा और इस बीमारी को रोकना अति आवश्यक है।

बाल विवाह को रोकना एक उपचारात्मक दृष्टिकोण है, जो बाल विवाह के शोषण से बच्चों को बचा रहा है। बाल विवाह रोकथाम के माध्यम से बच्चों को सुरक्षा एवं पुनर्वास करना है और साथ में समुदायों को जागरूक भी करना है।

बच्चों को खुशहाल बचपन, सुनहरे भविष्य का नेतृत्व करने में सक्षम बनाता है। बाल अधिकारों की सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिकों व हितधारकों की जिम्मेदारी है। सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटक्शन द्वारा निर्मित यह विशेष संस्करण हितधारकों को बाल विवाह के संबंध में जागरूक करेगा एवं रोकने में मदद करेगा और वास्तव में हम अपने बच्चे के लिये शोषण मुक्त समाज की स्थापना कर पाएगें।

डॉ0 कीर्ति भारती
पुनर्वास मनोवैज्ञानिक और
सामाजिक कार्यकर्ता
एवं मैनेजिंग ट्रस्टी, सारथी ट्रस्ट, जोधपुर

पृष्ठभूमि:

बाल विवाह को सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में पहचाना गया है। विश्व में सबसे अधिक बाल विवाह भारत में होते हैं।

यू.एन.सी.आर.सी. व किशोर न्याय अधिनियम 2015, की परिभाषा के अनुसार कोई किशोर या बच्चा एक ऐसा व्यक्ति है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद (बी) के तहत यदि विवाहित जोड़े में से कोई भी एक बच्चा है, तो इसे बाल विवाह माना गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के को इस अधिनियम के तहत बच्चा माना गया है। इसका अर्थ है कि विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु लड़की/ वधु के लिए 18 वर्ष है और लड़के/वर के लिए 21 वर्ष है।

एन.एफ.एच.एस. 2015–16 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु में विवाहित हुई 35.4% महिलाओं (20–24 वर्ष आयु वर्ग) की संख्या के साथ राजस्थान बाल विवाह के अधिकतम मामलों मे से देशभर मे चौथे स्थान पर है (बिहार पहले स्थान पर है)। इन आंकडों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 40.5% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 20.3% है और पूरे देश भर का प्रतिशत 26.8% था। इसी रिपोर्ट में यह आया कि 18 वर्ष से कम आयु में विवाहित हुई 57.2% महिलाओं 20–24 वर्ष आयु वर्ग की संख्या के साथ बाल विवाह के मामलों में राजस्थान के हैं, जो पहले स्थान पर है।

बाल विवाह के बारे में गलत धारणाएं:

बाल विवाह के सम्बन्ध में कई प्रचलित धारणाएं हैं जो भ्रान्तियां साबित हुई है, जो इस प्रकार से हैं:–

- बाल विवाह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं।
- बाल विवाह का मुख्य कारण गरीबी है।
- जल्दी शादी होने से लड़कियाँ सुरक्षित रहती हैं।
- यदि लड़कों की शादी जल्दी नहीं की जाती है, तो उनके लिए भविष्य में वधु मिलना मुश्किल हो जाता है।
- जल्दी शादी करने से लड़के अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं।

बाल विवाह के दुष्परिणाम:

बाल विवाह युवा लड़कियों के लिए समाज के कई दुष्परिणामों का कारण बनता है। बाल विवाह बालिकाओं के सम्पूर्ण स्वास्थ्य व विकास पर गंभीर प्रभाव डालता है। कम आयु में शादी हो जाने से बालिकाओं को स्वास्थ्य संबंधित खतरा अधिक रहता हैं, उसमें से सर्वाधिक खतरा गर्भपात व बच्चे को जन्म देने का होता है। इनके कारण गंभीर प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं और यह अधिक मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर का कारण बनता हैं। बाल विवाह बालिकाओं के स्कूल जाने में बाधाऐं उत्पन्न करती है और उनके शिक्षा के अधिकार का दमन करता है, जो कि उनके व्यक्तिगत विकास व भविष्य में समाज की खुशहाली के लिए अति आवश्यक होता है।

बाल विवाह के कारण:

- बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी व जागरुकता की कमी।
- समाज में बाल विवाह को संस्कार के रूप में निभाए जाने की पुरानी परंपरा जो सामाजिक सहमती है।
- नियमों व कानूनों के क्रियान्वयन में कमी और प्रशासन की ओर से कार्यवाही करने की क्षमता में कमी ।

अधिनियम व प्रावधान:

राजस्थान सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध नियम, 2007 को अधिसूचित किया गया और उप संभागीय न्यायाधीश को बाल विवाह निषेध अधिकारी घोषित किया गया।

किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार यदि कोई बच्चा निर्धारित उम्र से पहले विवाह किए जाने के जोखिम में हो तो उसे संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक माना जाता है और उसके माता–पिता, परिवार के सदस्य, अभिभावक या अन्य व्यक्ति यह विवाह करवाए जाने की संभावना के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं (धारा 2 का उप धारा 14 का 12 के अनुसार अधिनियम के अनुसार बाल विवाह को बच्चे के लिए क्रूरता माना गया है, जो कि अनुच्छेद 55 में निहित है।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिनियम भी बाल विवाह के निवारण के लिए उपलब्ध हैं, जैसेः अनैतिक व्यापार (निषेध) अधिनियम, 1956, दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 एवं घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005।

- राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (RSCPCR): किशेर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम 2016 के नियम 91 के तहत बाल यौन शोषण व बाल विवाह उत्पीड़न के संबंध में जागरुकता फैलाने के लिए उत्तरदायी आयोग है।
- बाल कल्याण समिति (CWC): राज्य के समस्त जिलों में बाल कल्याण समितियाँ कार्यरत् है, जो कि देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास व पुर्नवास के प्रकरणों के निपटान में सर्वोत्तम हित के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU): राज्य के समस्त जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग के तहत संचालित है, जो कि बच्चों के संरक्षण संबंधी अधिनियमों, कानूनों व योजनाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए कार्यरत हैं।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई(SJPU): जिले में बच्चों संबंधित विभिन्न मुद्दों का पुलिस स्तर पर निपटान करने के लिए विशेष किशोर पुलिस ईकाई कार्यरत है।
- वी.एल.सी.पी.सी/बी.एल.सी.पी.सी (VLCPC/BLCPC) : समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रावधानों के अनुसार ग्राम/ब्लॉक/पंचायत स्तर पर जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे बच्चों की पहचान करने, संरक्षण व पुर्नवास के उद्देश्य से समस्त ग्राम एवं ब्लॉक स्तर में बाल संरक्षण समितियों व ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समितियों का गठन एवं संचालन किया जा रहा है।
- चाईल्ड हैल्प लाईन (1098): देखभाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए एक आउटरीच व बचाव टीम के रूप में चाईल्ड हैल्प लाईन के रुप में कार्य करती है। कोई भी नागरिक बाल विवाह के मामलों की सूचना 1098 पर देकर बच्चों को बचाने में मदद कर सकता है।

योजनाएं व कार्यक्रम:

राजस्थान में बाल विवाहों की घटनाओं को कम करने को दिशा में ''महिला व बाल विकास विभाग'' एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है। इसके साथ ही अन्य विभाग भी शिक्षा, जागरुकता, व्यवसायिक गतिविधियों, समाजिक सुरक्षा योजनाओं इत्यादि के प्रोत्साहन के माध्यम से बाल विवाहों की रोकथाम हेतु सक्रियता से कार्यरत हैं।

बाल विवाह निरस्तीकरण:

बाल विवाह निरस्तीकरण निम्न परिस्थियों में होता हैः– जिस समय बच्चे का विवाह हुआ है, उस समय बच्चा नाबालिग था, उसे बाल विवाह करने के लिए मजबूर किया गया था, परिजनों द्वारा ऐसा करने के लिए उसे बहलाया या फुसलाया गया था। शादी करने के लिए या अन्य अनैतिक मकसद से बेचा गया था या व्यापार किया गया था। अथवा कोई अन्य विशेष परिस्थितियां थी ।

पी.सी.एम.ए. अधिनियम 2006 के अनुच्छेद 13,14 के तहत बाल विवाह ''शुरुआत से ही अमान्य'' माना जाता है।

भरण–पोषण का प्रावधान:

पी.सी.एम.ए., 2006 के अनुच्छेद 4 के अनुसार, जब जिला अदालत अनुच्छेद 3 के तहत कोई हुक्मनामा जारी करे, तो उसके साथ ही वह बाल विवाह करने वाले लड़के के लिए और यदि लड़का नाबालिग हो तो उसके माता–पिता या अभिभावकों के लिए, एक अन्तरिम या अंतिम आदेश जारी कर सकती है, जिसमें विवाह की जाने वाली लड़की को तब तक भरण–पोषण अदा करने का आदेश दिया जा सकता है, जब तक उसका दोबारा विवाह नहीं हो जाता।

शून्यीकरण व तलाक:

तलाक किसी ''वैध'' विवाह सम्बन्ध को समाप्त करने की एक कानूनी प्रक्रिया है जबकि शून्यीकरण ''अवैध'' विवाह सम्बन्धों को समाप्त करने की एक कानूनी प्रक्रिया है।

शिकायत दर्ज करवाना:

शिकायत किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज करवाई जा सकती है, जैसे पड़ोसी, चिकित्सक, ए.एन.एम., आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, गांव स्तरीय कार्यकर्ता, गांव के बुजुर्ग, स्वयं सहायता समूह सदस्य, बच्चे के माता–पिता या अभिभावक, सी.एम.पी.ओ., स्वयं सेवी संगठन, इत्यादि। शिकायत फोन कॉल, पत्र, टेलीग्राम, ईमेल, फैक्स या हाथ से लिखे सामान्य पत्र के माध्यम से नजदीकी पुलिस स्टेशन या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास दर्ज करवाई जा सकती है।

पुलिस की भूमिका:

- प्राप्त शिकायतों को दैनिक रजिस्टर में एन्ट्री व उनका रखरखाव करना।
- एफ.आई.आर दर्ज कर जाँच को रजिस्टर करना।
- आदेश जारी करने के लिए सी.एम.पी.ओ. को रिपोर्ट करना ।
- जाँच के लिए सी.एम.पी.ओ. या नियुक्त किए गए अधिकारी को सहायता करना, सी.एम.पी.ओ. या नियुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता की स्थिति में अपराध का मौका–मुआयना और आवश्यक कार्यवाही करना।
- अपराधियों को हिरासत में लेना, क्योंकि इस नियम के तहत आने वाले अपराधों को संज्ञेय व गैर–जमानती माना जाता है।
- न तो बच्चे को हिरासत में लिया जाना चाहिए और न ही उसे हथकड़ी लगाई जानी चाहिए।
- बच्चों को सहज महसूस करवाने के लिए सिविल ड्रेस में होना चाहिए।
- किसी बच्ची/लड़की के केस में महिला पुलिस अधिकारी को किसी महिला सामाजिक कार्यकर्ता/ अध्यापक/ आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/ए.एन.एम./ बच्ची की सहेली प्रकरण के निपटारे के समय साथ में होने चाहिए।
- बच्चे को 24 घंटों के भीतर सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष प्रस्तुत करना

यू.एन.सी.आर.सी.: बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन • एन.एफ.एच.एस.: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

सेतु

unicef for every child | SPUP Knowledge Is Power | Centre for Child protection

बाल विवाह निषेध अधिकारी की भूमिका व उत्तरदायित्व :

- बाल विवाहों को होने से रोकने के लिए उचित कदम उठाना/कार्यवाही करना।
- अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध उचित मुकदमा चलाने के लिए सबूत इकट्ठा करना।
- बाल विवाहों के रोकथाम के लिए जागरुकता फैलाना।
- इसके लिए समुदाय को संवेदनशील एवं जागरुक करना।
- राज्य सरकार के निर्देशानुसार सामयिक विवरण व सांख्यिकीय आँकड़े जुटाना।
- राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों व जिम्मेदारियों को पूरा करना।
- विवाह पंजीयन अधिकारी के रिकार्ड का समय–समय पर निरीक्षण करना और अधिनियम के अनुच्छेद 4, 5 व 13 के तहत पाई गयी शिकायतों के लिए उचित कार्यवाही करना।

न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका:

अधिनियम के अनुच्छेद 13(1) के तहत, सी.एम.पी.ओ. की अर्जी पर या किसी व्यक्ति या अन्य स्रोत से शिकायत प्राप्त होने पर, यदि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को यह ज्ञात हो जाता है, कि अधिनियम की अवहेलना करते हुए बाल विवाह करवाया जा चुका है या करवाया जाने वाला है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध निषेधात्मक आदेश जारी किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही दोषी व्यक्ति के विरुद्ध निषेधात्मक आदेश किसी व्यक्ति द्वारा भी जारी किया जा सकता है, जो कि ऐसे विवाहों की रोकथाम में कार्यरत किसी संगठन या समिति का सदस्य हो सकता है।

बाल विवाह रोकथाम में नवाचार:

राज्य में विभिन्न स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा बाल विवाहों की रोकथाम के लिए सराहनीय प्रयास किए गये गए हैं।

लाडली सम्मान:

वर्ष 2014 से पिकंसिटी साईकल रिक्शा चालक संस्था, जयपुर द्वारा बाल विवाहों की रोकथाम करने के लिए एक अभियान "लाडली सम्मान" चलाया गया, जिसके माध्यम से यह राज. राज्य के बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, जयपुर व टोंक जिलों में समुदाय में जागरुकता बढ़ाने व लोगों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कार्यरत है। इस अभियान के दौरान इन जिलों के 1773 गांवों में लगभग 17,36,050 लोगों तक पहुँचकर जानकारी प्रदान की गयी और 3,500 से अधिक शिक्षा से वंचित/स्कूल छोड़ गये बच्चों, 2000 से अधिक बाल विवाह की संभावना वाले बच्चों और 5000 से अधिक गौना किए जाने वाले बच्चों की पहचान की गयी, उन्हें शिक्षा व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं। संस्था ने 10,000 से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (पालनहार, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, परित्यक्त पेंशन,विकलांग पेंशन) इत्यादि के लिए आवेदन करने में सहायता की। इसके साथ ही राज्य भर में 140 से अधिक चाईल्ड राईट्स क्लब गठित करने के प्रयास किए गए हैं।

स्रोत : पिकंसिटी साईकल रिक्शा चालक संस्था, जयपुर

बाल विवाह के खिलाफ मुख्य विधिक प्रावधान

अपराध	अधिनियम	अनुच्छेद/धारा	विवरण
बाल विवाह	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006	9	18 वर्ष के अधिक आयु के पुरूष को सजा का प्रावधान है, जो बाल विवाह कर रहा है। 2 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा 1 लाख रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों के दण्ड का प्रावधान है।
		10	बाल विवाह को गंभीरता से लेने, उत्सव मनाने, संचालन करने एवं निर्देश देने वाले व्यक्ति के लिये 2 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा 1 लाख रूपए तक का जुर्माना का प्रावधान।
		11	बाल विवाह आयोजन के लिये प्रचार या अनुमति देने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा 1 लाख रूपए तक का जुर्माना का प्रावधान।
		15	ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता/समर्थन करता/ निर्देश देता है, उसे 2 वर्ष तक का कठोर कारावास/1 लाख रूपए तक के जुर्माना या दोनों का दण्ड प्रावधान है। (महिला को कारावास का दण्ड नहीं दिया जा सकता, हालांकि उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।) (दण्डनीय अपराध संज्ञेय व गैर–जमानती अपराध)
	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015	33–34	किसी व्यक्ति द्वारा ज्ञात होते हुए 24 घंटों के भीतर बाल विवाह की रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में 6 माह का कारावास या 10 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
		75	बच्चे के प्रतिक्रूरता के लिये दण्ड का प्रावधान। 3 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा 1 लाख रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों दण्ड का प्रावधान है।
		79, 81	बच्चे का आर्थिक लाभ के प्रयोजनार्थ क्रय अथवा विक्रय करने के लिये दण्ड का प्रावधान। 5 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा 1 लाख रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों दण्ड का प्रावधान है।
	अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956	4	16 वर्ष की उम्र से अधिक का कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग से वैश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है, की स्थिति में कम से कम 7 वर्ष का कारावास व अधिक से अधिक 10 साल की जेल का प्रावधान है।

बाल विवाह शिकायत 1098 चाईल्ड हैल्पलाईन, 1090 महिला हैल्पलाईन एवं 100 पुलिस हैल्पलाईन नम्बर पर कर सकते है।

सेतु

unicef for every child | SPUP Knowledge Is Power | Centre for Child protection

बाल विवाह की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की योजनाएं

विभाग	योजना का नाम	योग्यता	सहायता
महिला एवं बाल विकास विभाग	सामूहिक विवाह	21 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाली लड़कियाँ सामूहिक विवाह में भाग ले सकते हैं। एक बार में कम से कम 10 और अधिकतम 166 जोड़े इस सामूहिक विवाह में भाग ले सकते हैं।	6000/– रुपए प्रति जोड़ा।
बाल अधिकारिता विभाग	शिशु/बालगृह/फिट पर्सन/फिट फैसिलिटी	देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे	सीसीआई/फिट पर्सन/फिट फैसिलिटी में बाल मित्रपूर्ण तरीका अपनाते हुये बच्चों की समुचित देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, पुनर्वास, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक जुड़ाव आदि संबंधित कार्य
	स्पोंसरशिप	देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे	आईसीपीएस के तहत बाल मित्रपूर्ण तरीका अपनाते हुए बच्चों की परिवार आधारित समुचित देखभाल, संरक्षण विकास, उपचार, पुनर्वास, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक जुड़ाव आदि संबंधित कार्य
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	बीपीएल परिवार सहयोग योजना	बीपीएल परिवार की 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कन्या जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो	रुपए 15,000/– (10वीं कक्षा) रुपए 20,000/– (12वीं कक्षा) (विवाह के समय)
	सहयोग योजना	कोई विधवा जिसकी वार्षिक आय 50,000 रूपयों से कम हो	18 वर्ष या इससे अधिक आयु की दो कन्याओं के विवाह पर 10,000/– रुपए सहायता राशि 10वीं उत्तीर्ण कन्याओं के लिए 5,000/– रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि स्नातक उत्तीर्ण कन्याओं के लिए 10,000/– रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि
	विशेष योग्यजन विवाह सहायता	कोई भी 40 प्रतिशत के साथ अक्षम व्यक्ति व पंजीकृत विवाह	रुपये 50,000/–(दम्पत्ति हेतू)
	अन्तर्जातीय विवाह योजना	अन्तर्जातीय विवाह के लिए (एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का होना चाहिए और दूसरा किसी उच्च जाति का)	रुपये 2.5 लाख प्रति को (कुल 5 लाख)
	पालनहार	अनाथ बच्चे/मृत्य या उम्र कैद की सजा/एच.आई.वी./एड्स पीड़ित/कुष्ठ रोग पीड़ित/विशेष योग्यजन माता–पिता के बच्चे/ तलाकशुदा या परित्यक्ता के बच्चे/ विधवा या पुर्नविवाह करने वाली महिला या नाता जाने वाली माँ के तीन बच्चे।	रुपये 500/– प्रति माह (0–5 वर्ष तक) रुपये 1000/– प्रति माह (6–18 वर्ष तक) रुपये 2000/– प्रति वर्ष, स्कूल की पोषाक व स्टेशनरी के लिए (18 वर्ष की आयु तक) शर्त : बच्चे का आंगनबाड़ी/विद्यालय में नामाकंन होना अनिवार्य है।
	मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना	17 से 21 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो बाल घरों में रह रहे हों और पालनहार योजना के लाभार्थी हों।	सरकारी नियमानुसार जीवन कौशल तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए फीस की अदायगी और कोई उद्यम स्थापित करने के लिए एक मुश्त 50,000 रूपयों की सहायता
शिक्षा विभाग	मिड–डे मील	स्कूल में नामांकन	स्कूल में मिड–डे मील
	आपकी बेटी योजना	एकल बीपीएल अभिभावक के बच्चों को (1 से 12 तक छात्राओं की कक्षा में उपस्थिति)	राशी 1,100/– प्रति वर्ष (8वीं कक्षा तक) राशी 1,500/– प्रति वर्ष (9–12वीं कक्षा तक)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	शुभलक्ष्मी योजना	संस्थागत प्रसव	राशी 2,100/– अस्पताल में प्रसव पर राशी 2,100/– सम्पूर्ण टीकाकरण पर राशी 3,100/– 5 वर्ष की आयु में विद्यालय प्रवेश पर
श्रम–नियोजन	मिस्त्री विवाह सहयोग	स्वयं के विवाह या दो पुत्रियों के विवाह हेतु	राशि 50,000/– सहयोग

Government Schemes to prevent Child Marriage:

Department	Name of Scheme	Eligibility	Support
Woman & Child Development	Samuhik Vivaah	Male completed 21 years and female completed 18 years age can participate in group marriages. Minimum 10 and Maximum 166 couples may participate at a time.	Rs. 6000/- per couple.
Department for Child Right	Child Care Institution Fit Person/ Fit Facility	Children in Need of Care and Protection	Proper care, protection, development, treatment, rehabilitation, education, vocational training, social reintegration by adopting child friendly approach in CCIs/ Fit Person/ Fit Facility
	Sponsorship	Children in Need of Care and Protection	Proper care, protection, development, treatment, rehabilitation, education, vocational training, social reintegration by adopting child friendly approach in Homes.
Social Justice & Empowerment Department	BPL Family Support Schemes	Girl belongs to BPL family completed age of 18 with 10th class.	Rs.15,000/- (10th Class) Rs.20,000/- (12th Class) (At the time of marriage)
	'Sahyog Scheme'	Widow mother having income below Rs.50,000 per year	Rs.10,000/- after 18 years for two daughter's marriage. Additional grants of Rs.5,000/- for 10th Standard, Rs.10,000/- graduation respectively.
	Marriage support to People With Disability	Any person with disability with 40% and Registered Marriage	Rs. 50,000/- (For Couple)
	Inter Caste Marriage Schemes	For Inter Caste Marriage (A person should belongs from SC and another from any upper caste)	Rs. 2.5 Lac for each (5 Lac for Couple)
	Palanhar	Orphan/Children of Parents or father punished for life sentence and life imprisonment etc / suffering from HIV/ AIDS/ Leprosy / Special abled/ Divorced & Abandoned/ remarried widow's Mother/ 3 Children of widow's Mother & Nata Jane wali Mother	Rs.500/- per month (0-5 years) Rs.1000/- per month (6-18 years) and Rs.2000/-yearly for school uniform and stationaries till 18 years of age Condition: Child should be in school
	Mukhymantri Hunar Vikas Yojna	17-21 years old children who are staying in children homes or beneficiaries of PALANHAR scheme.	Fee for life skill technical courses as per govt. norms and Rs.50,000/- one-time support to start entrepreneurship
Education Department	Mid-Day Meal	School going children	Provides mid-day meals in schools
	Apki Beti Yojna	Girl studying in class (1-12) having single BPL parent	Rs.1,100/- per year till 8th class and Rs.1,500/- per year for 9-12 class
Medical & Health Department	Shubh Laxmi Yojna	Birth of girl child (Institutional delivery)	Rs.2,100/- at the time of discharge from Hospital, Rs.2,100/- after full immunization of girl child and Rs.3,100/- school admission on age of 5 years
Labour Department	Marriage support to meson (Rajmistri)	His own marriage or two daughter's marriage	Rs.50,000/- support

Newsletter
SETU
Dedicated to child protection by Centre for Child Protection (CCP)
December 2018 Edition : 13

SAY NO TO CHILD MARRIAGE

From Director's Desk:

Child Marriage is a global problem cutting across countries, religions and culture. In India, this practice has origins from ancient times and still persists. It is defined as a marriage in which the girl or boy is underage (18 years for girls and 21 years for the boys). This is in gross violation of the rights of the girls and boys, as it denies them basic rights to health, nutrition, education, freedom from violence and deprives the child of his/her childhood.

Child marriage was outlawed in 1929 through the introduction of The Child Marriage Restraint Act, 1929. This Act fixed the age of marriage for girls at 14 years and boys at 18 years which was later amended to 18 for girls and 21 for boys. This Act was overhauled and The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 was enacted; however, child marriage continues to be practised across India.

In India, as per National Family Health Survey, 2015-16 the percentage of women in the age group of 20-24 years who married before attaining the minimum legal age of marriage at 18 is still 26.8%. This figure is even higher in Rajasthan at 35.4%. According to Census 2011, Rajasthan leads the country in child marriages with 10.29 lakh (or 2.88%) of 3.57 crore children married before the age of 10.

Although Child Marriage is declining worldwide the pace is far too slow and Child Marriage rates still remain unacceptably high. Contrary to general expectations, Child Marriage is not limited only among isolated or backward communities in certain states; it is widespread all over the country and affects most of the social groups.

Police with its presence all over the state has an important role and duty to prevent Child Marriages and effectively prosecute the offenders to set an example before others.

The focus of this special edition of Newsletter is on the sensitization of the stakeholders on Prohibition of Child Marriages and to accelerate the efforts to prevent Child Marriage especially in Rajasthan by creating awareness among the community by their active involvement in the best interest of the child.

Rajeev Sharma, IPS
Director
Centre for Child Protection

Helpline Numbers to Prohibit Child Marriage :
1. Child Helpline - 1098
2. Women Helpline - 1099
3. Police Helpline - 100

Theme: Child Marriage
Centre for Child Protection (CCP)
Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Rajasthan

Message

Child Marriage is like a disease. Child marriages are ruining the lives of children and the consequences came in a worst form. Child Marriages can result sexual exploitation, domestic violence, human rights violations, and a lack of education, healthcare and opportunities. It's important to prevent this 'disease' but when so many innocents are infected; we have to find a way to cure them…

Child Marriage Annulment is a curative approach which is saving the children from the exploitation of child marriages. We are protecting and rehabilitating children through Child Marriage Annulment and Prevention whilst at the same time changing the mind-sets of communities. This enables our children to lead blissful lives and golden future. Every citizen and stakeholders have a responsibility for the protection of child rights. This special edition of newsletter will help stakeholders to eradicate the malpractice and will gear up to prevent and annual the child marriages and in reality, we will be able to establish exploitation free society for our children.

Dr. Kriti Bharti
Rehabilitation Psychologist
and Social Activist,
Advisory Member,
None in three Center of UK Govt.,
Managing Trustee,
Saarthi Trust, Jodhpur

BACKGROUND:

Child marriage is a well-recognized problem to the Socio-economic development. India has one of the highest number of child brides in the world.

According to UNCRC and further confirmed in JJ Act, 2015 defines a Juvenile or child as a person who has not completed eighteenth year of age under Section 2 (b) of The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (PCMA), it is a Child Marriage to which either of the contracting party is a Child. Child under this law is defined as 18 years in the case of girls and 21 years in the case of boys. That means 18 year is the minimum age or legal age for a girl (bride) to marry whereas it is 21 year for the boy or the bride-groom.

As per NFHS 2015-16, Rajasthan occupies 4th place (Bihar is the first) in the country in terms of highest incidences of child marriages with 35.4% of women (age 20-24) married before age of 18. The corresponding figure for rural area was 40.5% whereas for urban area it was 20.3%. The all India figure for the same period was 26.8%. In the state bhilwara occupies 1st place in terms of highest incidences of child marriages with 57.2% of women (age 20-24) married before age of 18.

Child Marriage Myths:

There are certain popular believes with regard to the Child Marriage which has been proved as myths, some of them are;

- Child Marriages occur in rural areas only.
- Poverty is the primary reason of Child Marriages.
- Early marriage protects girl child.
- If boys are not married early, it would be difficult to find a bride for them in future.
- The boys will become responsible for his familial responsibilities.

Consequences of Child Marriage:

Child marriage is linked to a series of negative consequences for young girls in society. Child Marriages have a severe impact on the overall health and development of the girls. Marrying at early age girls are at greater health risks, one of the highest being early pregnancy and childbirth. These causes are serious reproductive health problems and lead to the high Maternal Mortality Rates (MMR) and Infant Mortality Rates (IMR).Child Marriage denies schooling for girls and their right to education, which is necessary for their personal development and effective contribution to the future well-being of society.

UNCRC : The United Nations Convention on Rights of the child • **NFHS :** National Family Health Survey

SETU

Causes of Child Marriage:

- Lack of education and awareness about the consequences of child marriage.
- Long traditional practices of solemnising child marriage in the society (social acceptance).
- Poor implementation of the law and lack of will of action on the part of the administration.

Acts and Provisions:

The Government of Rajasthan notified that The Rajasthan Child Marriage Prohibition Rules, 2007 and declared Sub Divisional Magistrates as Child Marriage Prohibition Officers (CMPO).

Under Sub Section 14 (xii) of Sec 2 of The Juvenile Justice (Care and Protection) Act 2015, a child who is at imminent risk of marriage before attaining the age of marriage is a child in need of care and protection and whose parents, family members, guardians and any other persons are likely to be responsible for solemnization of such marriages and The Child Marriage has been considered as cruelty to the child under Sec 55, and 75 of this Act.

Apart from that there is other relevant Acts; The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956, Dowry Prohibition Act, 1961 and Domestic Violence Act, 2005 are in place to prevent the Child Marriages.

- **Rajasthan State Commission for Protection of Child Rights (RSCPR) :** RSCPCR has been entrusted with the responsibilities for creating awareness about Child Sexual Abuse and Exploitation including Child Marriage under Sec 91of the Juvenile Justice Rules, 2016.
- **Child Welfare Committee (CWC):** In Rajasthan, at the district level CWC is working to dispose of cases for the care, protection, treatment, development and rehabilitation of children in need of care and protection for the best interest of child.
- **District Child Protection Unit (DCPU):** DCPU is working at district level under the Department for Child Right (DCR) for the effective implementation of Child Protection related Acts, legislation and schemes.
- **Special Juvenile Police Unit (SJPU):** At district level, SJPUs are working to address the case of various child related issues in the districts.
- **VLCPC/BLCPC:** As per the provisions of Integrated Child Protection Scheme, Village Level Child Protection Committee and Block Level Child Protection Committees are at Gram Panchyat and Block /Panchayat level with the aim to ensure the protection of children by identifying the children living under vulnerable circumstances.
- **Child Help Line (1098):** Child Help Line works as an outreach and rescue team for Children in Need of Care and Protection. Any citizen can report a case of Child Marriage and help in rescuing children.

Plans and Programmes:

In Rajasthan, the Department for Women & Child Development is the nodal agency undertaking initiatives to reduce the incidence of Child Marriages. Besides from this other line departments are actively engaged to eradicate Child Marriages through the enhancement of education, awareness, income generation activities and social protection schemes etc.

Child Marriage is Void:

Child Marriages can be void, if a child was minor when the marriage was done, was compelled for child marriage, was taken or enticed out of the keeping of the lawful guardian; was sold or trafficked for marriage or used for immoral purpose; and under other special circumstances.

Void Ab Initio:

Where a marriage has been solemnised despite an injunction order (whether interim or final) passed U/S 13, 14 of the PCMA Act, 2006 to prevent the child marriage from taking place, the marriage is regarded as 'void ab initio' meaning 'invalid marriage from the beginning'.

Maintenance Provisions:

Section 4 of PCMA, 2006 provides that while granting a decree U/S 3 (Null and Void), the district court may also make an interim or final order directing the male contracting party to the child marriage, and in case the male contracting party to such marriage is a minor, his parent or guardian to pay maintenance to the female contracting party to the marriage until her remarriage.

Annulment and Divorce:

Though both are legal processes Divorce is a legal process for dissolutions of a 'valid' marriage where as annulment is a legal process for dissolutions of a 'invalid' marriage through a decree of nullity.

Complaint File:

A complaint can be filed by any person including neighbours, school teachers, doctors, ANMs, AWW, village level workers, village elders, SHGs members, parent or guardian of the child, CMPO, NGOs etc. In a form of a phone call or a letter or a telegram or e-mail, fax or a simple handwritten letter to the nearest Police Station or Judicial Magistrate of First Class or a Metropolitan Magistrate.

Role of Police:

- Ensure Daily Dairy Register entry and maintenance.
- Register the FIR and Investigation.
- Report to the CMPO for her/him to issue an injunction.
- Accompany the CMPO or the appointed person, visit the scene of crime and take necessary action.
- Arrest the offender as offences under the law are cognizable and non-bailable.
- Do not arrest or handcuff the child.
- Avoid being in uniform when dealing with children to make them comfortable.
- Ensure lady police officer in dealing with a girl along with female social worker/Teacher/ AWW/ANM/ Child's friend.
- Produce the child before the CWC within 24 hours.

Roles & Responsibilities of CMPO:

- To prevent solemnization of Child Marriages by taking such action as he/she may deem fit.
- To collect evidence for the effective prosecution of persons contravening the provisions of the Act.
- To create awareness for prohibition of Child Marriage.
- To sensitize the community.
- To furnish such periodical returns and statistics as the State Government may direct.
- To discharge such other functions and duties as may be assigned to him/her by the State Government.
- Inspect from time to time record of the Marriage Registration Officer and take appropriate action on receipt of complaint under section 4,5 and 13 of the Act, from such inspection or otherwise he/she finds that Child Marriage is solemnised or is to be solemnised in violation of the Act.

Role of Judicial Magistrate:

Under section 13 (1) of the Act, on an application of CMPO or on receipt of information through a complaint or otherwise from any person, a Judicial Magistrate of first class or a Metropolitan Magistrate is satisfied that a Child Marriage in contravention of PCMA, 2006 has been arranged or is about to be solemnised, such Magistrate shall issue an injunction against any person including a member of an organization or an association of persons prohibiting such marriage.

SETU

Innovation to prevent the Child Marriages:

Efforts made by the various NGOs to prevent the child marriages are appreciable in the state.

Laadli Samman: Since 2014, the Pink City Cycle Riksha Chalak Sanstha (PCCRCS) is committed to prevent the child marriages through campaign 'Laadli Samman' by creating awareness among the community and make their life better through associating them with the various social security schemes in Baran, Bundi, Jhalawar, Kota, Jaipur and Tonk districts of Rajasthan.

During the campaign 17,36,050 persons have been approached and sensitized in 1773 villages of these districts. More than 3,500 children deprived of education/ dropped out, more than 2,000 children potential with 'child marriage' and more than 5,000 children potential with 'gauna' were identified. The efforts were made to associate them with the social security schemes. The organization facilitated more than 10,000 beneficiaries regarding applying them for various social security schemes viz. Palanhar, Vriddha Pension, Vidhwa Pension, Parityakt Pension, Viklang Pension and other schemes. As well as effortswere made to constitute more than 140 Child Rights Club in the State. **Source :** PCCRCS, Jaipur

Main Legal Provisions for Child Marriage

Crime	Act	Sections	Details
Child Marriage	The Prohibition of Child Marriage Act, 2006	9	Punishment for adult above eighteen years of age, contracts a child marriage shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to two years or with fine which may extend to one lakh rupees or with both.
		10	Punishment for solemnising a child marriage as performs, conducts, directs or supports any child marriage shall be punishable with two years and shall be liable to fine which may extend to one lakh rupees.
		11	Any person who has promoting or permitting solemnisation of child marriages imprisonment for two years and fine which may extend up to one lakh rupees.
		15	Any person who has conducts/ promoting/ permitting of child marriages imprisonment which may extend to two years or with fine which may extend to one lakh rupees or with both. (No woman shall be punishable with imprisonment fine may extend) (Offences to be cognizable and non-bailable)
	The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015	33-34	Any person who has committed an offence of non-reporting with 24 hours, shall be liable to imprisonment up to six months or fine of ten thousand rupees or both.
		75	Provision to Punishment for cruelty to child. Imprisonment three years or with fine of one lakh rupees or with both.
		79-81	Punishment for sells or buys a child for economic gain. Provision to rigorous Imprisonment for five years and shall also be liable to fine of one lakh rupees or with both.
	The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956	4	Any person who lives on the earnings relate to the prostitution of a child or a minor, shall be punishable with imprisonment for a term of not less than seven years and not more than ten years.

For the Prohibition of Child Marriage contact on Child Help Line- 1098, Women Help Line 1090 and Police Help Line-100